न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 127/2018 **दायर दिनांकः 05/07/2018**

उनवान

1. धनराज आयु 42 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति धाकड़ निवासी काचरा पो0 काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट बाबत् नाम दुरस्ती हेतु

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 17/06/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल काचरा पटवार मण्डल मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 98 ख0नं0 980 का रकबा 3.95 है0 आराजी वादी के दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी नवीन खाता संख्या 98 साथ में संलग्न है। दौराने सेटलमेन्ट आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने वादी को घर पर धन्ना के नाम से पुकारने के कारण सेटलमेन्ट कर्मचारीगण ने वादी का नाम खाते में गलती से धनराज के स्थान पर धन्नालाल दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम धनराज है। वादी के ग्राम काचरा की खाता संख्या 145 की आराजी में भी अन्य सहखातेदारान के साथ सही नाम धनराज दर्ज हो रहा है तथा पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा ग्राम पंचायत मेरमाचाह द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादी का सही नाम धनराज दर्ज है। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 145, पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय वादी का नाम धन्नालाल के स्थान पर धनराज दर्ज किया जाना सम्भव नही है। यदि वादी का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नही किया गया तो वादी को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के0सी0सी0 ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जिससे वादी अपरिमित क्षति हो रही है। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इसलिए वादी का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित

आराजी पर वादी का नाम धन्नालाल के स्थान पर धनराज दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथमबार सेटलमेन्ट कर्मचारीगण द्वारा वादी का गलत नाम धन्नालाल दर्ज कर देने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 14.06.2018 को श्रीमान को नाम परिवर्तन का प्रार्थना पत्र देने पर श्रीमान द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। विवादग्रस्त आराजी ग्राम काचरा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें किः—

(अ) वादी का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित ग्राम काचरा के खाता संख्या 98 का ख0नं0 980 का रकबा 3.95 है0 आराजी पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम धन्नालाल के स्थान पर धनराज दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 2 मे वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार तथा कथन है। कि वक्त सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी को कच्चा पर्चा दिया गया था वादी को उस समय आपत्ति दर्ज करानी चाहिये थी। वाद पत्र की मद नं0 3 न्यायालय श्रीमान से सम्बन्धित है। वादी का नाम धन्नालाल दर्ज खाता है जिसे धनराज दर्ज करने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। इससे राजहित प्रभावित नही होता है।

वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7, 8 कानूनी है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू की ओर से जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार करने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा वादी के ग्राम काचरा की खाता संख्या 145 की आराजी में भी अन्य सहखातेदारान के साथ सही नाम धनराज दर्ज है। पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा ग्राम पंचायत मेरमाचाह द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादी का सही नाम धनराज दर्ज है। ग्राम काचरा की खाता संख्या 98 ख0नं0 980 किता 1 रकबा 3.95 है0 में वादी का नाम धन्नालाल के स्थान पर धनराज दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम काचरा की खाता संख्या 98 की किता 1 रकबा 3.95 है0 में खातेदार धन्नालाल पुत्र जमना लाल दर्ज है। तथा ग्राम काचरा की जमाबन्दी खाता संख्या 145 किता 13 कुल रकबा 2.79 है0 में सहखातेदारों के साथ धनराज पुत्र जमनालाल का नाम दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 03.07.2018 आधार कार्ड, परिचय पत्र चुनाव, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में वादी का नाम धनराज दर्ज तथा जवाब प्रतिवादी में भी वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम काचरा की खाता संख्या 98 किता 1 रकवा 3.95 है0 में खातेदार धन्नालाल पुत्र जमना लाल के स्थान पर सही नाम धनराज पुत्र जमना लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 127/2018

उनवान

1. धनराज आयु 42 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति धाकड़ निवासी काचरा पो0 काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट बाबत् नाम दुरस्ती हेतु

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम काचरा की खाता संख्या 98 किता 1 रकवा 3.95 है0 में खातेदार धन्नालाल पुत्र जमना लाल के स्थान पर सही नाम धनराज पुत्र जमना लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.06.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.07.23 12:14:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: